समक्ष एसएस सोढ़ी, माननीय न्यायमूर्ति

कृष्ण लाल, - अपीलकर्ता,

बनाम

हरियाणा राज्य कृषि विपणन बोर्ड और अन्य, - उत्तरदाता।

1985 के आदेश क्रमांक 378 से प्रथम अपील

12 मार्च 1986.

मध्यस्थता अधिनियम (1940 का एक्स) - धारा 34 - पदनाम द्वारा एक मध्यस्थ की नियुक्ति - कहा गया मध्यस्थ का मध्यस्थता में प्रवेश - मध्यस्थ का पद छोड़ना - उसके बाद मध्यस्थ द्वारा पुरस्कार दिया जाना - पुरस्कार - चाहे अधिकार क्षेत्र के बिना हो।

अभिनिर्धारित कि जब मध्यस्थ ने पदनाम से अपने पद का प्रभार त्याग दिया तो उक्त मध्यस्थ के पास मध्यस्थ के रूप में कार्य करने का क्षेत्राधिकार नहीं रह गया और परिणामस्वरूप जब वह पद पर नहीं रहा तो आर्बिट्रेटर द्वारा दिया गया पुरस्कार अधिकार क्षेत्र के बिना है।¬

(पैरा 8)

एस. जगरूप सिंह, पी.सी.एस सब-जज, प्रथम श्रेणी, चंडीगढ़ के आदेश, दिनांक 21 फरवरी, 1985 से पहली अपील, आपत्ति याचिका के बाद और 21 अप्रैल, 1984 के पुरस्कार को लागत सहित रद्द कर दिया गया।

अपीलार्थी की ओर से श्री मनोहर लाल, अधिवक्ता ।

प्रतिवादी संख्या 1 के लिए श्री जसवन्त जैन, अधिवक्ता ।

आदेश

एसएस सोढ़ी, माननीय न्यायमूर्ति

1. जहां मध्यस्थ की नियुक्ति पदनाम द्वारा होती है, तो क्या इस प्रकार नियुक्त मध्यस्थ को अपने पद पर बने रहने पर कार्य करने के अपने अधिकार क्षेत्र से वंचित कर दिया जाता है, चाहे वह स्थानांतरण, सेवानिवृत्ति, इस्तीफे या अन्यथा द्वारा हो। यही वह बिंदु है जो इस अपील में निर्धारण के लिए आता है।

2. यहां उठाया गया मामला अनिवार्य रूप से मध्यस्थता खंड की व्याख्या में से एक है क्योंकि यह पार्टियों के लिए यह प्रदान करने के लिए खुला है कि मध्यस्थ (उसके पद के आधार पर नियुक्त)

मध्यस्थता कार्यवाही के दौरान हर समय विशेष पद धारण करने वाला होना चाहिए या यदि वह इसे मध्यस्थता के विवाद के संदर्भ के समय आयोजित करता है तो यह पर्याप्त होगा।

3. मामले को नियंत्रित करने वाला प्रासंगिक मध्यस्थता खंड इस प्रकार है:-

"यदि इस दस्तावेज़ से संबंधित या उसके किसी भाग के अर्थ या संचालन या किसी भी पक्ष के अधिकारों, कर्तव्यों या देनदारियों से संबंधित किसी भी तरह से कोई प्रश्न, मतभेद या आपत्ति उत्पन्न होती है, तो ऐसे किसी भी निर्णय को छोड़कर इस मामले में इससे पहले प्रावधान किया गया है कि इस तरह के हर मामले में इस तरह से निर्णय लिया गया है कि क्या इसका निर्णय अन्यथा प्रदान किया गया है और या क्या यह अंततः तदनुसार निर्णय लिया गया है, या क्या अनुबंध समाप्त किया जाना चाहिए या सही तरीके से समाप्त किया गया है और जहां तक संबंधित है ऐसी समाप्ति के परिणामस्वरूप पार्टियों के अधिकारों और दायित्वों को अंतिम माप की तारीख के 180 दिनों के भीतर एसई, एचएसएएमबी को मध्यस्थता के लिए भेजा जाएगा और इसका निर्णय अंतिम और बाध्यकारी होगा और जहां मामले में दावा या भुगतान शामिल है या धन की वसूली या कटौती शामिल है, ऐसी मध्यस्थता में प्रदान की गई केवल राशि, यदि कोई हो, संदर्भित मामले के संबंध में वसूली योग्य होगी। यदि निर्दिष्ट अवधि के भीतर मामले को मध्यस्थता के लिए संदर्भित नहीं किया जाता है, तो अनुबंध के तहत सभी अधिकार और दावे जब्त कर लिया गया और पूर्णतया वर्जित माना जाएगा।"

4. मध्यस्थ की नियुक्ति इस प्रकार पदनाम द्वारा की गई थी, अर्थात्, हरियाणा राज्य कृषि विपणन बोर्ड के अधीक्षण अभियंता' (बाद में बोर्ड के रूप में संदर्भित) वर्तमान विवादों को मध्यस्थता के संदर्भ में संदर्भित करने के समय, संबंधित अधीक्षण अभियंता श्री डीपी गुप्ता थे। अपीलकर्ता तारा चंद के मामले में उनके द्वारा विवादित पुरस्कार 17 अप्रैल, 1984 का है और दूसरे अपीलकर्ता - कृष्ण लाल के मामले में 27 अप्रैल, 1984 का है। रिकॉर्ड से पता चलता है कि छुट्टी पर जाते समय, उन्होंने इसका प्रभार 16 जनवरी, 1984 को छोड़ दिया था । बाद में, 4 अप्रैल, 1984 के आदेश प्रदर्श पी/6 द्वारा उन्हें उनके मूल विभाग में वापस भेज दिया गया, उसके बाद 25 मई, 1984 के आदेश प्रदर्श पी/7 के माध्यम से उन्हें वापस अधीक्षण अभियंता के रूप में तैनात किया गया। हालाँकि, तथ्य यह है कि 17 और 27 अप्रैल, 1984 के विवादित पुरस्कार श्री डीपी गुप्ता द्वारा प्रदान किए गए थे, जब वह बोर्ड के अधीक्षण अभियंता के पद पर नहीं रह गए थे। इस प्रकार बोर्ड की ओर से जो विवाद उठाया गया और जो ट्रायल कोर्ट में कायम रहा, वह यह था कि अधीक्षण अभियंता के पद का प्रभार छोड़ने पर, श्री डीपी गुप्ता मध्यस्थता के साथ आगे बढ़ने में सक्षम नहीं थे और इसलिए, विवादित निर्णय अधिकार क्षेत्र के बिना थे।

5. अब अपीलकर्ताओं के वकील श्री मनोहर लाल द्वारा प्रचारित मुद्दा यह था कि प्रासंगिक मध्यस्थता खंड में शब्द "मध्यस्थता के लिए हरियाणा राज्य कृषि विपणन बोर्ड के अधीक्षण अभियंता को भेजा जाएगा, मध्यस्थ की आवश्यकता के साथ निहित है और अधीक्षण अभियंता बोर्ड का निर्णय विवाद को मध्यस्थता के लिए संदर्भित करने के समय तक ही सीमित था, न कि इसके बाद मध्यस्थता की कार्यवाही को केवल उक्त पद धारण करने वाले व्यक्ति द्वारा ही नियंत्रित किया जाना चाहिए। दूसरे शब्दों में, इस तरह कार्य करने के लिए मध्यस्थ के अधिकार क्षेत्र को देखने का समय वह था, जब मामले को मध्यस्थता के लिए भेजा जाता है, न कि उसके बाद के किसी चरण के लिए।

6. मिसाल के तौर पर, **यूनियन ऑफ इंडिया बनाम मेसर्स केडी मेहता मनोहर सिंह एंड कंपनी, (1965) 67 पीएलआर 166** में इस अदालत के फैसले का संदर्भ दिया गया था । इस मामले में मध्यस्थता खंड में यह प्रावधान था कि पार्टियों के बीच मतभेद और विवाद, इसे उत्तर-पश्चिमी रेलवे के तत्समय महाप्रबंधक को संदर्भित किया जाएगा....." यह माना गया कि 'समय के लिए' शब्द का अर्थ 'तत्काल' के संदर्भ में लिया जाना चाहिए। वह व्यक्ति जो उस समय महाप्रबंधक का पद संभाल रहा था जब विवाद को मध्यस्थता के लिए उसके पास भेजा गया था और यह आवश्यक नहीं था कि पुरस्कार के समय वह महाप्रबंधक भी हो। ऐसा करते हुए अदालत ने उच्च न्यायालय के पहले के फैसले का पालन किया। माननीय उड़ीसा न्यायालय के निर्णय **भारत संघ बनाम चौधरी राधानाथ नंदा, एआईआर 1961 उड़ीसा 143**, जहां यह देखा गया है:-

> "यह प्रश्न कि क्या समझौते के मध्यस्थता खंड में कुछ समय के लिए शब्दों को सर्कल के अधीक्षण अभियंता की मध्यस्थता के लिए संदर्भित किया जाएगा, इसका मतलब यह निकाला जाना चाहिए कि मध्यस्थ को न केवल संबंधित सर्कल का अधीक्षण अभियंता होना चाहिए जिस तारीख को वास्तव में उन्हें संदर्भ दिया गया था, लेकिन पुरस्कार पारित करने की तारीख तक ऐसा जारी रहना चाहिए, उस खंड में उस समय के लिए अभिव्यक्ति के निर्माण पर निर्भर करता है। इस प्रकार जहां संपर्क करने वाले पक्षों को पता था यह अच्छी तरह से जानते थे कि केंद्र सरकार के अधिकारी अल्प सूचना पर भारत के दूर-दराज के हिस्सों में स्थानांतरण के लिए उत्तरदायी थे, वे यह भी जानते थे कि मध्यस्थता की कार्यवाही में कुछ समय लग सकता है और इस प्रकार इन सभी तथ्यों की पूरी जानकारी होने के बावजूद पार्टियों ने इसमें कोई प्रावधान करने से चूक कर दी। जिस समय के लिए मूल रूप से संदर्भ दिया गया था, उस समय के सर्कल के अधीक्षण अभियंता के अन्यत्र स्थानांतरित होने और किसी अन्य अधिकारी द्वारा सफल होने की स्थिति में क्या किया जाना चाहिए। यह माना जाना चाहिए कि उस खंड में मौजूद आइटम के लिए शब्द केवल उस तारीख को संदर्भित करते हैं जिस दिन मध्यस्थ को संदर्भ दिया गया था, और उस तारीख को शामिल करने के लिए इसे बढ़ाया नहीं जा सकता जिस पर मध्यस्थ द्वारा वास्तविक निर्णय दिया गया था। दूसरे शब्दों में, यदि संदर्भ की तिथि पर मध्यस्थ उस सर्कल का अधीक्षण अभियंता था जिसके अधिकार क्षेत्र में संबंधित कार्य पूरा हो गया था, तो वह संदर्भ का निपटान कर सकता है, भले ही उसे अपना निर्णय देने से पहले कहीं और स्थानांतरित किया जा सकता है। "

7. यह देखा जाएगा कि वर्तमान मामले में मध्यस्थता खंड "**मेसर्स केडी मेहता मनोहर सिंह एंड कंपनी या चौधरी राधानाथ नंदा के मामलों (सुप्रा)** के समान शर्तों में नहीं है, उनकी अनुपस्थिति से स्पष्ट समय के लिए शब्द हैं बोर्ड के अधीक्षण अभियंता के संदर्भ में इस आशय की अन्य अभिव्यक्ति, जिसके पास विवाद को मध्यस्थता के लिए भेजा जाना है। **दौलत राम राला राम बनाम पंजाब राज्य, एआईआर 1958 पंजाब 19** में इस अदालत के पहले के फैसले से मामला सुलझ गया है। जहां मध्यस्थता खंड प्रदान किया गया है, विवाद के मामले में मामला सर्कल के अधीक्षक अभियंता को भेजा जाएगा जिसका आदेश अंतिम होगा। यह माना गया कि मध्यस्थ का नामांकन नाम से नहीं, बल्कि उनके पद द्वारा किया गया था। अधीक्षण अभियंता के स्थानांतरण या सेवानिवृत्ति पर कार्य करने का हकदार, उनके उत्तराधिकारी को मध्यस्थ के रूप में उनकी जगह लेनी होगी। बाद में **बचना राम सावन राम बनाम पंजाब राज्य, एआईआर 1962 पंजाब 85** में इसे माना गया।

8. कानून में ऐसी स्पष्ट स्थिति होने के कारण, इस निष्कर्ष से कोई बच नहीं सकता है कि एक बार जब श्री डी.पी.गुप्ता ने बोर्ड के अधीक्षण अभियंता के रूप में अपने पद का प्रभार छोड़ दिया, तो उनके पास मामले में मध्यस्थ के रूप में कार्य करने का अधिकार क्षेत्र नहीं रह गया और परिणामस्वरूप दिए गए पुरस्कार उनके द्वारा, जब वह अब पद पर नहीं थे, ट्रायल कोर्ट द्वारा अधिकार क्षेत्र के बिना माना गया था। अत: इस अपील में कोई योग्यता नहीं है और तदनुसार इसे लागत सहित खारिज किया जाता है।

अस्वीकरण : स्थानीय भाषा में अनुवादित निर्णय वादी के सीमित उपयोग के लिए है ताकि वह अपनी भाषा में इसे समझ सके और किसी अन्य उद्देश्य के लिए इसका उपयोग नहीं किया जा सकता है । सभी व्यवहारिक और आधिकारिक उद्देश्यो के लिए निर्णय का अंग्रेजी संस्करण प्रमाणिक होगा और निष्पादन और कार्यान्वयन के उद्देश्य के लिए उपयुक्त रहेगा ।

उदित अग्रवाल

प्रशिक्षु न्यायिक अधिकारी

(Trainee Judicial Officer)

करनाल, हरियाणा